राजस्व वाद संख्या 54/2024
चन्द्रसिंह बनाम रतनसिंह वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 54/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/134

वादी	बनाम	प्रतिवादी
चन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सोढो का वास,देवरिया तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.रतनसिंह पुत्र मंगलसिंह 2.मोहनसिंह पुत्र लालसिंह 3.धनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सोढो का वास,देवरिया तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री सुरजभानसिंह अधिवक्ता वादी
2. श्री गुमानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30.6.2025

1. संक्षिप्त में वादी–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सह–खातेदारी भूमि ग्राम तिरसिगड़ी सोढा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 464 रकबा 70.06 बीघा व खसरा संख्या 650/414 रकबा 32.00 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिए बेचानपत्र खरीद की गई है,जिसमे वक्त खरीद बेचानपत्र में लिपिकीय त्रुटि से शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह अंकन हुआ,जबकि वादी का वास्तविक नाम चन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह है। वादग्रस्त अराजी में अशुद्व नाम दर्ज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह के स्थान पर सही नाम चन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह इन्द्राज करवानें हेतु वाद –पत्र पेश किया गया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्री सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री गुमानसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तरफ से वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी की तरफ से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

इकबालीया जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा वक्त बहस विप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

3.विप्रार्थी की ओर से इकबालीया जवाब पेश किए जाने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नही होने के कारण वादी के वाद का अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य मे स्वंय वादी द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया तथा बयान के समर्थन मे दस्तावेजात प्रदर्श 1 से प्रदर्श 08 प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नही किए जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सह–खातेदारी भूमि ग्राम तिरसिगड़ी सोढा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 464 रकबा 70.06 बीघा व खसरा संख्या 650/414 रकबा 32.00 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिए बेचानपत्र खरीद की गई है,जिसमे वक्त खरीद बेचानपत्र में लिपिकीय त्रुटि से शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह अंकन हुआ,जबकि वादी का वास्तविक नाम चन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक नाम चन्द्रसिंह दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित आराजी में वादी के गलत नाम इन्द्राज होने के कारण अपूरणीय क्षति हो रही है। अन्तः में निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व नाम शंकरसिंह के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि चन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तिरसीगड़ी सोढा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 650/414 क्षेत्रफल 5.1800 हैक्टयर भूमि एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 464 क्षेत्रफल 11.3797 हैक्टयर भूमि वादी की सहखातेदारी मे इन्द्राज है,जिसमे वादी का नाम शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह दर्ज है,जो कि प्रदर्श 3,4 व 6 अवलोकन से स्पष्ट है। वादग्रस्त भूमिया वादी द्वारा जरिए बेचानपत्र खरीद की गई,उक्त बेचानपत्र मे भी वादी का नाम शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह अंकन है तथा उक्त बेचानपत्र के आधार पर नामान्तकरण 193 व 188 पारित हुए,जो कि बेचानपत्र के अनुरूप ही शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह के नाम से पारित हुए है। उक्त प्रविष्टि आदिनांक रेकर्ड मे चली आ रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमिया शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह के नाम से खरीद की गई तथा उक्त बेचानपत्र के आधार पर नामान्तकरण भी पारित हुए है। जबकि वादी अधिवक्ता द्वारा बहस मे उजर उठाया कि वादी का वास्तविक नाम चन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह है,वक्त खरीद रजिस्ट्री मे घेरलू बोलचाल भाषा मे चन्द्रसिंह के स्थान पर शंकरसिंह नाम दर्ज हो गया था,जो दुरूस्त कर चन्द्रसिंह रेकर्ड मे शुद्वि की जावे। जो कि तर्क मानने योग्य नही है,क्योंकि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बेचान पत्र मे भी शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह दर्ज है और उक्तानुसार ही नामान्तकरण पारित हुए है। इस प्रकार न्यायालय हाजा उक्त रेकर्ड मे फेरबदल करने का कोई युक्तियुक्ति ठोस कारण नही मानता है। वादी बेचानपत्र मे अशुद्व नाम प्रविष्टि के लिए सक्षम पंजीयन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वंतत्र है,लेकिन हस्तगत प्रकरण मे वादी राहत प्राप्त करने का हकदार नही है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी का वाद सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

–:निर्णय:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

30/06/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 54/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/134

वादी	बनाम	प्रतिवादी
चन्दसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सोढो का वास,देवरिया तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.रतनसिंह पुत्र मंगलसिंह 2.मोहनसिंह पुत्र लालसिंह 3.धनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सोढो का वास,देवरिया तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 54/2024

निर्णय दिनांक :–30.6.2025

वादी की ओर से श्री सुरजभानसिंह अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गुमानसिंह अधिवक्ता की अनुपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 4 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 30.6.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 30.6.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 30/06/25
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	—	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	—	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा